न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :– 1/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– उन्नस बनाम भोलूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
27/09/19	पत्रावली प्रस्तुत हुई । उभयपक्ष को सुना गया । विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 14 एयर साबिक नम्बर 314 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम उदयपुर तहसील तिजारा जिला अलवर हरिया मेव की खरीदशुदा आराजी है । परन्तु उक्त बयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकृत हो चुका था, परन्तु राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हो पाया था । हरिया मेव के देहान्त के बाद आराजी पर हम अपीलांट काबिज है । हरिया मेव के नाम अमल ना होने के कारण आराजी करतारसिंह पुत्र गुरूदत्त सिंह के नाम बोलती रही । जिसका नाजायजा फायदा उठाकर उक्त करतारसिंह ने लक्ष्मण पुत्र हरचन्द के पक्ष में फर्जी बयनामा करा दिया । इसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने राजस्व वाद संख्या 340/06 प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.16 को किया जाकर अपीलांट अब्दुल रहीम को खातेदार घोषित किया गया था । इस आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल में की जा चुकी है । उपखंड अधिकारी के निर्णय दिनांक 13.12.16 के खिलाफ कैलाश वगैरा ने गलत तथ्यों के आधार पर अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की, जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी0 पी0 सी0 सपठित धारा 212 आर0 टी0 एक्ट एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सी0 पी0 सी0 को आदेश दिनांक 27.12.16 द्वारा खारिज कर दिया गया है । इसी दौरान रेस्पो0/वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर विवादित आराजी की बाबत तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी तिजारा के समक्ष एक वाद हम अपीलांट प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा इकतरफा में हमको पाबन्द करवा दिया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विवादित भूमि से वादीगण रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है । यह भूमि हमारे पिता की खरीदशुदा भूमि है । परन्तु इसका अमल हमारे पिता के नाम नहीं होने का फायदा उठाकर उक्त विक्रेता करतारसिंह ने भूमि अन्य जगह बेचान कर दी । वादग्रस्त भूमि की बाबत जब पूर्व में वाद संख्या 340/06 हमारे पक्ष में डिक्री हो चुका था तो ऐसी स्थिति में मौजूदा वाद एवं धारा 212 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
अलवर

Scanned by CamScanner

था, परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । मौजूदा वाद धारा 10 सी0 पी0 सी0 के प्रावधान लागू होते हैं । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के खिलाफ है, जो कि चलने योग्य नहीं है । अगर इनको किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो ये तहत न्यायालय में अपनी आपत्ति /जवाब प्रस्तुत करें । विवादित भूमि हमारे पिता की खरीदशुदा भूमि है । इससे अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि धारा 212 के अन्तर्गत पारित किये गये सभी आदेश धारा 225 आर0 टी0 एक्ट के तहत अपील योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । उभयपक्ष अपने अपने पक्ष में भूमि का बयनामा होना बताते हैं । इन बयनामों के आधार पर किस पक्षकार का कितना टाईटल सिद्ध होता है, यह बिन्दू इस स्टेज पर विचारणीय नहीं है, यह बिन्दू तो मूल वाद में तय होना है । हम यहां धारा 212 के प्रार्थना पत्र में पारित किये गये अंतरिम आदेश की अपील का निस्तारण कर रहे हैं ।

अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है, जो कि अपीलांट की इकतरफा में पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट की सुनवाई कर अग्रिम आदेश पारित करने हेतु हम तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में आगामी नियत दिनांक को उभयपक्ष को सुनकर ही स्थगन के संबंध में निर्णय लेवें । इसके पश्चात यथासम्भव एक माह के अन्दर उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हों । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner